विधानसभा निर्वाचन-2023 : जिले में आदर्श आचार संहिता लागू

- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश
- जिले में धारा 144 लागू, उल्लंघन पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
- सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा

रायगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों से संबद्ध व्यक्तियों, राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों और समस्त शासकीय एवं अद्र्धशासकीय सेवकों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है।

जिले में धारा 144 लागू- कलेक्टर सिन्हा ने आम निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू किया है। जिसके तहत रायगढ़ जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे-बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा। उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप मे लाठी लेकर चलते हैं। रायगढ़ जिला के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल या संस्था, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।

उल्लंघन करने वाले समूह अथवा व्यक्ति पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही- जिले में धारा लागू 144 का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आज दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। चूंकि समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं है, अत: यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है।

समस्त शस्त्र लायसेंसियों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के भीतर जमा करना होंगे अपने अस्त्र-शस्त्र : कलेक्टर सिन्हा ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से सीमित अवधि के लिए रायगढ़ जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवाने के निर्देश दिए है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन शस्त्रों के संभावित दुरूपयोग को रोका जा सके। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने आयुध अधिनियम की धारा के तहत रायगढ़ जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा करायें, इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र संबंधित शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते है, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट, रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 33 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। दिनांक 9 अक्टूबर 2023 से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति (विधानसभा निर्वाचन 2023) तक के लिए रायगढ़ जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

कलेक्टर सिन्हा ने ली राजनैतिक दलों की बैठक

रायगढ़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले में 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर जिले में निर्वाचन कार्यक्रम व आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार व अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी विधानसभाओं में निर्वाचन के लिए 21 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा।

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अवधि 21 से 30 अक्टूबर 2023 तक होगी, नाम निर्देशन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 है। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 31 अक्टूबर 2023 को जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवम्बर 2023 है। 17 नवम्बर 2023 को मतदान किया जाएगा एवं मतगणना की तिथि 3 दिसम्बर 2023 निर्धारित है। कलेक्टर सिन्हा ने इसके साथ ही निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में अन्य जानकारी व दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान आशीष शर्मा, पवन शर्मा, चंद्रेश साहू, विलिश गुप्ता, प्रिंकल दास, चंद्रप्रभा पटेल उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के उल्लंघन पर होगी दण्डनीय कार्यवाही

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय/अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम धारा के तहत निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है, तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिये एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित की जाये। इस टीम में नगरीय निकाय (नगरपालिक निगम, नगर पंचायत) लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाये। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय रायगढ़ को अवगत करावे। टीम गठित करने का कार्य नगर निगम में आयुक्त एवं शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाये। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर.दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो, निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा।

थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफ.आई.आर.दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जायेगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हे प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी अथवा विडियोग्राफी करायेगी।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित... सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किए जा सकेंगे उपयोग

- जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने जारी किया आदेश

रायगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपादन के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्वाचन की समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहनों आदि में लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। सामान्यत: आमसभा, प्रचार, जुलुस, वाहन इत्यादि के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।

लाउड स्पीकर के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त- छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के अधीन नियमानुसार अनुमति प्रदान करने हेतु कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा जिले में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें रायगढ़ संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायगढ़ को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह खरसिया संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय) के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी खरसिया, घरघोड़ा संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी घरघोड़ा, धरमजयगढ़ संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी धरमजयगढ़ एवं लैलूंगा संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय) के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी लैलूंगा को नियुक्त किया गया है।

आचार संहिता लगते ही शुरू हुई संपत्ति विरूपण की कार्यवाही : सड़कों पर पैदल मार्च कर अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न टीमों ने की संपत्ति विरूपण की कार्यवाई

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ में 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिसके तहत जिले में शासकीय, अशासकीय भवनों व संपत्तियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर, होर्डिंग्स एवं नारे स्लोगन तत्काल हटाये जाने के निर्देश है। इसी तारतम्य में रायगढ़ जिले में अधिकारियों ने फील्ड पर उतरकर संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही की।

आचार संहिता लागू होते ही रायगढ़ शहर में नगर निगम कमिश्नर सुनील चंद्रवंशी व एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा के नेतृत्व में सब इंजीनियर, सहायक राजस्व निरीक्षक सहित कर्मचारियों की 10 टीम द्वारा 10 वाहन लेकर सड़कों, गली-मोहल्ले में लगे फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर को संपत्ति विरूपण नियम के तहत निकाले गए। इस दौरान

निगम कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर सहित निगम की टीम ने सड़कों पर पैदल मार्च कर सड़कों के स्ट्रीट लाइट पर लगे फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स को निकलवाया गया।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय/अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम धारा के तहत निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

हत्या के प्रयास मामले की फरार आरोपिया गिरफ्तार

- आरोपिया ने अपनी बड़ी बहन के साथ बहन की ननद के हत्या की साजिश में थी शामिल
- घरघोड़ा पुलिस ने साजिशकर्ता महिला समेत 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर भेजी है जेल

रायगढ़। घरघोड़ा पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रही आरोपियों को आज तमनार क्षेत्र में देखे जाने की सूचना पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। घटना के बाद से आरोपिया बैंगलौर में लुक छिप कर रह रही थी। आज जब थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चन्द्रा को आरोपिया दिशा भगत के ग्राम कोसमपाली तमनार में देखे की सूचना मिली तो तत्काल महिला स्टाफ के साथ ग्राम कोसमपाली में दबिश दिया गया और आरोपिया दिशा भगत पिता स्व. दुखराम भगत उम्र 23 वर्ष सा. रूमकेरा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) वर्तमान पता - सिटी फेस-1 बैंगलोर (कर्नाटक) को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिससे विधिवत पूछताछ करने पर अपनी बड़ी बहन आरोपिया धनकुंवर तिग्गा के साथ मिलकर धनकुंवर की ननद रमा उरांव की हत्या की साजिश रचने और हत्या को अंजाम देने लड़के तैयार करना स्वीकार की है। आरोपिया से घटना करने में प्रयुक्त एक रियलमी कंपनी का मोबाईल जप्त कर आरोपिया का गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

क्या था मामला - घरघोड़ा के वार्ड क्रमांक 3, उरांवपारा में 21 अगस्त 2023 की सुबह रमा उरांव पिता स्वर्गीय मयाराम उरांव (उम्र 30 वर्ष) पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या की नियत से हमला किया गया था, जिसमें घरघोड़ा पुलिस और रायगढ़ साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 72 घंटे के भीतर न मामले का खुलासा कर हमलावर युवकों सहित प्लानिंग करने वाली महिला को गिरफ्तार किया।

पूर्व में गिरफ्तार आरोपिया धनकुंवर तिग्गा ने अपने खुलासे में बताया कि उसका पति रामलाल एसईसीएल कर्मचारी है जिसकी तीन बहने हैं उनमें से बाकी दो की शादी हो चुकी है और रमा बस अविवाहित बची है, शादी होकर आने के कुछ साल बाद से ही इसकी सास रंगवती और इसकी ननद रमा अक्सर खेत मकान और जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा विवाद करते रहते हैं और इसके घर के ठीक सामने रहते हैं चूंकि रमा की शादी भी नहीं हो रही थी इसलिए एक दिन तंग आकर जब उसने अपनी छोटी बहन दिशा भगत से इस बारे में चर्चा की तो दोनों ने मिलकर रमा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और दिशा भगत जो बेंगलुरु में रहकर नर्स का काम करती है उसके परिचित रायगढ़ निवासी राजू गुप्ता से संपर्क करवाया जो 3 अगस्त को धनकुंवर तिग्गा से मोबाइल के जरिए संपर्क करके घरघोड़ा मिलने पहुंचा जहां रेकी करवाने और बातचीत के बाद रमा को जान से करने का सौदा रु. 1,00,000 में इन लोगों ने तय किया जिनके करीब एक हफ्ते बाद राजू गुप्ता दोबारा जाकर रु. 50,000 नगदी एडवांस लेकर गया बाकी रकम कम होने के बाद देने का तय किया गया। घटना दिनांक की पूर्व रात्रि 20 अगस्त को राजू गुप्ता अपने दो अन्य साथी विकास चक्रवर्ती उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम हमीरपुर थाना तमनार और मनिकेतन सिदार उम्र 25 वर्ष ग्राम गैरबहरी थाना तमनार के साथ मोटरसाइकिल से घरघोड़ा आकर पीड़िता की भाभी दनकौर तिग्गा के पास रुका और मौका देखकर सामने रह रही राम के कमरे में घुसकर उस पर हमला किया गया हमले के दौरान रमा के पलटवार से हड़बड़ा कर हमलावर भाग निकले इसके बाद हड़बड़ा कर धनकुंवर ने भी अपने मोबाइल का सिम निकाल कर तोड़ दिया और उसके बाद हमलावरों को अंडरग्राउंड होने और संपर्क नहीं करने को कहा। आरोपीय धन कुंवर के बयान के आधार पर हमले के लिए रकम लेने वाले और हमले में शामिल राजू गुप्ता, विकास चक्रवर्ती और मिनकेतन सिदार को साइबर सेल के साथ मिलकर अलग-अलग ठिकानों से हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहन भी बरामद किया गया। आज मामले की फरार आरोपिया दिशा को घरघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

बहुचर्चित एक्सिस बैंक डकैती मामले में रायगढ़ पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता

शेरघाटी गैंग के एक और कुख्यात डकैत को गिरफ्तार करने में सफल रही रायगढ़ पुलिस

- आरोपी से एक देशी कट्टा और 6 राउंड जब्त

रायगढ़। रायगढ़ जिले के बहुचर्चित एक्सिस बैंक डकैती मामले में रायगढ़ पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना के बाद फरार हुये "शेरघाटी गैंग"के डकैतों की पतासाजी में सीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में बिहार, झारखंड रवाना हुई स्पेशल टीम ने बिहार के गया जिले में रेड कर गैंग के 01 फरार शातिर डकैत- अमित दास उर्फ धर्मेन्द्र दास उर्फ प्रजापत को हथियार समेत गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया है। एसएसपी सदानंद कुमार के द्वारा गठित सीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में स्पेशल टीम रायगढ़ से ही आरोपियों के सभी उपलब्ध जानकारियों को जुटाने में लग गयी थी जिनकी लगन और मेहनत के कारण उक्त डकैतों को गिरफ्तार करने में रायगढ़ पुलिस को सफलता मिली है।

ज्ञात हो कि "शेरघाटी गैंग"के इन डकैतों ने 19 सितंबर की सुबह सशस्त्र हथियारों के साथ रायगढ़ के ढिमरापुर चौक स्थित एक्सिस बैंक की मुख्य शाखा में डकैती की घटना को अंजाम दिया था जिसमें डकैत बैंक से नकद 4.19 करोड रूपये और

78 पैकेट सोने के जेवरात (वजन- 2 किलो 91 ग्राम) कुल 5.62 करोड़ रूपये लेकर अलग-अलग वाहनों से फरार हो गये थे। राज्य की सबसे बड़ी बैंक डकैती को छत्तीसगढ़ पुलिस ने चैलंज स्वरूप लिया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक अशोक जुनेजा द्वारा तत्काल पड़ोसी राज्यों के आला अधिकारियों से संपर्क करते हुए स्थानीय पुलिस को सहायता उपलब्ध कराई तथा आईजी बिलासपुर रेंज अजय कुमार यादव और डीआईजी रामगोपाल गर्ग खुद रायगढ़ में कैंप कर केस की कमान संभालते हुये मॉनिटरिंग हेतु मौजूद रहे जिनके मार्गदर्शन में विभिन्न जिलों के साथ समन्वय बनाते हुए रायगढ़ पुलिस एतिहासिक रूप से शत प्रतिशत बरामदगी करते हुये "शेरघाटी गैंग" बिहार के 05 डकैत- (1) राकेश कुमार गुप्ता (2) उपेंद्र सिंह (3) निशांत उर्फ पंकज कुमार महतो उर्फ राजेश दास (4) राहुल कुमार सिंह (5) अमरजीत कुमार को गिरफ्तार कर आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया। इसके पश्चात सीएसपी अभिनव के नेतृत्व में स्पेशल टीम द्वारा दो अन्य फरार आरोपी (6) निलेश उर्फ नीतिश तथा आरोपी (7) पवन उर्फ प्रकाश को मय हथियार एवं घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ् गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी थी।

पुलिस टीम की तैयारी व रेड- मामले में गिरफ्तार किये गये 7 आरोपियों से मैराथन पूछताछ में विवेचना टीम द्वारा वारदात में शामिल अन्य फरार 3 आरोपियों का पूरा डिटेल निकाला जा चुका है। एसएसपी सदानंद कुमार लगातार बिहार, झारखंड पुलिस एवं उनके लगाये सूत्रों के संपर्क में हैं तथा सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय अपनी पिछली रेड के दौरान फरार आरोपियों के संबंध में तैनात किये गए स्थानीय मुखबीर के संपर्क में हैं। इसी बीच सीएसपी अभिनव के लगाये मुखबीर द्वारा एक फरार आरोपी अमित दास उर्फ धर्मेंद्र दास उर्फ प्रजापत के उसके ग्रहग्राम कोंचडीह में नाम बदलकर रहने और लुक- छुप कर घर आने-जाने की सूचना दिया गया। फरार आरोपी अमित दास अपना नाम धर्मेंद्र दास बताकर रह रहा था। तत्काल सीएसपी अभिनव उपाध्याय द्वारा एसएसपी सदानंद कुमार से दिगर राज्य रवाना होने की अनुमति प्राप्त कर उनके मार्गदर्शन पर थाना कोतवाली आरक्षक जगमोहन ओग्रे, संदीप मिश्रा, साइबर सेल आरक्षक नवीन शुक्ला, पुष्पेंद्र जाटवार एवं छसबल का आरक्षक सुदर्शन पांडे, अजीत कुमार की टीम बनाकर बिहार के गया रवाना हुए। सीएसपी अभिनव उपाध्याय को उनके पुलिस सूत्रों ने बताया कि यदि आरोपी के गृहग्राम में छत्तीसगढ़ पुलिस के रेड की जानकारी हुई तो वे आरोपी को फरार कर सकतें हैं। आरोपी का गांव, बस्ती काफी बडा था भागने के कई रास्ते मौजूद थे। ऐसे में सीएसपी अभिनव उपाध्याय द्वारा अपने हमराह स्टाफ को ब्रीफ कर रेड के लिये उचित समय निर्धारित किये और स्थानीय पुलिस को गांव के बाहर बेक सपोर्ट के लिये रखकर स्पेशल टीम द्वारा अपनी सूझबूझ और साहस के साथ ग्राम कोचंडीह में आरोपी के छिपे मकान की घेराबंदी करते हुए से रेड कार्यवाही किया गया, आरोपी को भागने और किसी को मौके पर बुलाने का समय नहीं मिला। स्पेशल टीम ने मौके पर आरोपी अमित दास उर्फ धर्मेंद्र दास के कब्जे से एक देसी कट्टा और 6 जिंदा राउंड जप्त कर आरोपी को सुरक्षा पूर्वक रायगढ़ लाया गया है जिसे डकैती के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया है।

प्रकरण में बिलासपुर रेंज आईजी अजय यादव, रायगढ़ रेंज डीआईजी राम गोपाल गर्ग का दिशा, निर्देशन व मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। पूरे मिशन में एसएसपी सदानंद कुमार की मॉनिटरिंग उनका लगातार मिलता मार्गदर्शन प्राप्त होने पर टीम को सफलता मिली है। फरार आरोपी अमित दास को मय हथियार गिरफ्तारी में गठित स्पेशल टीम के नेतृत्वकर्ता नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय, थाना प्रभारी कोतवाली शनिप रात्रे तथा स्पेशल टीम के जवान आरक्षक जगमोहन ओग्रे, संदीप मिश्रा, थाना कोतवाली, साइबर सेल के आरक्षक नवीन शुक्ला, पुष्पेंद्र जाटवार, छसबल 8th बटालियन के आरक्षक 61 अजीत कुमार और 8th बटालियन आर. 225 सुदर्शन पाण्डेय की अहम भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480